



सेवा में

पत्रांक 478 , दिनांक 26/02/2023

कार्यपालक अभियंता,  
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल,  
हजारीबाग।

विषय:-

चतरा जिला अंतर्गत NH-99 पर चतरा में चतरा बाईपास निर्माण हेतु कुल 64.0849392 हे० (वनभूमि 51.114 हे० एवं जंगल-झाड़ी भूमि 12.97 हे०) वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :-

इस कार्यालय के पत्रांक 1939 दिनांक 05.09.2022

महाशयः

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा की गई पृच्छा के आलोक में चतरा बाईपास निर्माण हेतु संशोधित वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत दिनांक 02.02.2023 को ऑफलाईन एवं ऑनलाईन संशोधित प्रस्ताव समर्पित किया गया है। समर्पित प्रस्ताव की जांच पुनः चेकलिस्ट के अनुसार किया गया। जांचोपरांत कतिपय त्रुटियाँ पाई गई जो निम्नवत् है :-

1. विषयक पथ निर्माण में कुल रकबा 64.0849392 हे० प्रस्तावित था, जिसमें गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी 46.0625601 हे० तथा वनभूमि 18.0223785 हे० सन्निहित था। पुनः संशोधित प्रस्ताव में कुल रकबा 64.0849392 हे० है जिसमें गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी 12.97 हे० तथा वनभूमि 51.114 हे० अपयोजित होगा। इस प्रकार पूर्व में निर्गत गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र को पुनः संशोधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करवाना होगा।
2. Form- A part- 1 की कंडिका- iii में short narrative of the proposal and project के संबंध में उल्लेख है परन्तु scheme for which the forest land is required के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
3. Part- 1 की कंडिका (vii) में Estimated cost of the project (Rupees in lac) 18860 अंकित है जबकि DPR में Total Estimated Cost 1,73,76,61,093.55 रु० है। दोनों में विरोधाभासी है। स्पष्ट करें।
4. Part- 1 की कंडिका- B-2.3 village wise break up में मौजा डाढ़ा में 11.45666568 हे० रकबा अंकित है जबकि भूमि विवरणी में डाढ़ा का कुल रकबा 11.31 हे० आता है। इसी प्रकार मौजा पकरिया में 0.1848644 हे० अंकित है जबकि कुल रकबा 0.14 हे० है। दोनों में विरोधाभासी है। स्पष्ट करें।
5. Part- 1 की कंडिका- B-2.4 में component wise breakup में वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव में Tree plantation, Utility तथा Miscellaneous लेने का क्या औचित्य है।
6. मौजा- चतरा में भी Village wise breakup में 7.0424116 हे० अंकित है जबकि भूमि विवरणी में कुल 7.06 हे० है। अतः दोनों में विरोधाभासी है।
7. प्रस्ताव के साथ Authenticated Land Schedule संलग्न नहीं है।

8. वृक्षों की गणना सूची/सारांश के साथ संलग्न नहीं है।
9. क्षतिपूरक वनरोपण संबंधी प्रस्ताव समर्पित करें।
10. प्रस्ताव के साथ पथ निर्माण हेतु सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति पत्र संलग्न नहीं है।
11. प्रस्ताव के साथ संलग्न भूमि विवरणी में प्लॉटवार लंबाई एवं चौड़ाई अंकित नहीं है, जबकि ई0डी0 नोडल द्वारा निर्देश प्राप्त है कि प्रत्येक रैखिक परियोजना में प्लॉटवार लंबाई एवं चौड़ाई अंकित होना अनिवार्य है ताकि रकबा जांच के क्रम में कठिनाईयाँ उत्पन्न न हो।

अतः उल्लेखित त्रुटियों के निराकरण करने हेतु ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुए अनुरोध है कि संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित किया जाय ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकें।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
26/2/23

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
दक्षिणी वन प्रमंडल।

  
26/2/23